भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-241
बुधवार, 3 फरवरी, 2021/14 माघ, 1942 (शक)

महामारी के कारण निजी क्षेत्र में नौकरियों का नुकसान

241. श्रीमती शांता क्षत्रीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महामारी के कारण पूरे देश में सभी निजी क्षेत्रों में नौकरियों का भारी नुकसान हुआ है;
(ख) क्या मंत्रालय को यह जानकारी है कि निजी क्षेत्र की नौकरियाँ नौकरी की सुरक्षा प्रदान नहीं करती हैं और इस प्रकार अकस्मात् नौकरी जाने के दौरान कामकाजी वर्ग वाले व्यक्ति का परिवार अत्यधिक गरीबी में गुजारा करता है और पूरी तरह से ऋण ग्रस्त हो जाता है;
(ग) सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) निजी क्षेत्र में कामकाजी वर्ग को पूर्णतः वित्तीय पत्तन से बचाने के लिए क्या-क्या सबक लिए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी और फिर लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। कोविड-19 के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार अपने मूल निवास स्थानों पर वापस जा रहे हैं। देश कोविड-19 की चुनौतियों एवं खतरों के समाधान के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रु. के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है जो अन्य बातों के साथ-साथ देश में रोजगार अवसरों के सृजन को सुगम बनाता है। युवाओं हेतु रोजगार सृजित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, व्यवस्था, व्यवस्थापूर्ण जनसांख्यिकीय एवं मांग पर आधारित है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) समाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ता को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि को बहाली करने हेतु प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करेगी एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार क्षमता के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है।

नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का सांविधिक पीएफ अंशदान ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए तीन माह के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया।

भारत सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पीएमजीकेआरए) के तहत विशेषकर लौटने वाले प्रवासियों को स्थानीय रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए ग्रामीण अवसंरचना एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसमें 50,000 करोड़ रु. के संसाधन आवृत के साथ 6 राज्यों के 116 जिले शामिल हैं एवं इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 125 दिवसों के मिशन मोड़ अभियान में किया जा रहा है।

भारत सरकार ने लगभग 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/-रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाने के लिए प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना आरंभ की है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ को औसत आय का 25% से बढ़ा कर 50% किया गया है, कोविड-19 के कारण बीमित कामगार, जो रोजगार खो चुके हैं, को लाभ का दावा करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट के साथ 90 दिवसों तक देय है।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई एवं भारत सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था को बनाए रखने एवं रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए उपायों की शुरूआत की है।

*****